अपर सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील संख्या 26/2021
महबूब
बनाम
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

उपस्थितिः–

मो0 हेलाल अहमद .... अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
मो0 जियाउल कमर .... प्रतिवादी सं0–4 के विद्वान अधिवक्ता।
श्री शहजाद हसन खान एवं
श्री असलम अंसारी .... बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

महबूब, पिता–खलीलूर रहमान, ग्राम–भेभरा, वार्ड नं0–14, पो0+थाना–जॉकीहाट, जिला–अररिया (सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा दारूल इस्लाम, माली टोला, पो0–मटियारी, टेरागाछ, जिला–किशनगंज, मदरसा सं0–438) ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेश ज्ञापांक 850 दिनांक 20.02.2020 के विरूद्ध यह अपील दायर की है, जिसके द्वारा मदरसा तंजीमुल मुस्लेमीन, भेभड़ा, पो0–जॉकिहॉट, जिला–अररिया (मदरसा सं0–397) के प्रबंध समिति की स्वीकृति को वापस लिया गया है।

प्रतिवादी सं0–4 के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 15.04.2026 को बहस के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि वादी ने अभी तक अपील की प्रति उन्हें हस्तगत नहीं कराई है तथा वह इस अपील में अभिरूचि नहीं रखते हैं। वादी को दिनांक 03.09.2025 को भी अपीलीय प्राधिकार के पत्र द्वारा सख्त ताकिद दी गई थी कि अगली सुनवाई की तिथि पर वादी अपने अधिवक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित कराए, अन्यथा इस वाद को D.F.D (Dismiss for Default) कर दिया जाएगा। अतः इस वाद को D.F.D (Dismiss for Default) कर दिया जाए।

मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 15.04.2026 को बहस के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि उक्त अपील का मामला प्रबंध समिति की स्वीकृति को वापस लिए जाने से संबंधित है एवं उक्त प्रबंध समिति के कार्यकाल की अवधि भी समाप्त हो चुकी है तथा वादी के अधिवक्ता द्वारा अपील की प्रति प्रतिवादी सं0–4 के अधिवक्ता को हस्तगत नहीं कराई गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस अपील के संचालन/सुनवाई में वादी के अधिवक्ता की कोई अभिरूचि नहीं है। उपरोक्त के आलोक में अपीलार्थी के उक्त Default के मद्देनजर इस अपील को Dismiss किया जाए।

निष्कर्षः– प्रतिवादी सं0–4 एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता की दलील को सुनने के बाद अपील की संचिका का अवलोकन किया। अपील की संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने इस अपील में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा

बोर्ड, पटना के आदेश ज्ञापांक 850 दिनांक 20.02.2020 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा मदरसा तंजीमुल मुस्लेमीन, भेभड़ा, पो0–जॉकिहॉट, जिला–अररिया (मदरसा सं0–397) के प्रबंध समिति की स्वीकृति को वापस लिया गया है।

प्रतिवादी सं0–4 एवं मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ताओं ने दिनांक 15.04.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि वादी ने अभी तक इस अपील की सुनवाई की कई तिथियों के गुजरने के बावजूद वर्तमान अपील की प्रति प्रतिवादी सं0–4 को हस्तगत नहीं कराई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस अपील के संचालन/सुनवाई में वादी के अधिवक्ता की कोई अभिरूचि नहीं है। उक्त के आलोक में अपीलार्थी के Default के मद्देनजर इस अपील को Dismiss किए जाने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त के आलोक में, अपीलार्थी के उक्त Default के मद्देनजर इस अपील को D.F.D (Dismiss for Default) किया जाता है एवं इसकी सुनवाई बंद की जाती है।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......52........ दिनांक......04/05/2026

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, 05, विद्यापति मार्ग, पटना/महबूब, पिता–खलीलूर रहमान, ग्राम–भेभरा, वार्ड नं0–14, पो0+थाना–जॉकीहाट, जिला–अररिया/मो0 याह्या, पिता–जैनुल हक, ग्राम–भेभरा, वार्ड नं0–14, पो0+थाना–जॉकीहाट, जिला–अररिया/मो0 जसीमुद्दीन, पिता–स्व0 अब्दुल जलील, ग्राम–भेभरा, वार्ड नं0–14, पो0+थाना–जॉकीहाट, जिला–अररिया/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, अररिया/जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay A.S.

(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।